

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री छगनलाल परसोया निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :- 06 / 2024 जीसीएमएस नं. :- 2024 / 09 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>13-8-24</p>	<p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 28.11.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक /सू0अ10 / 2024 / 428 दिनांक 26.02.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना /जवाब कार्यालय पत्रांक/सू.अ. /2024 / 09 दिनांक 05.01.2024 से अपीलार्थी /प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज करमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिशेष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने से उन्हें पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में प्रथम अपील प्रकरणों में इस न्यायालय को प्रेषित प्रत्युत्तर की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी आवश्यक रूप से प्रेषित करावे। निर्णय आज दिनांक 13-8-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। 	



(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एडिजिटो क्लर्क, भीलवाड़ा
भीलवाड़ा